भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता द्वारा विवरणों में परिवर्तन पर रिपोर्ट

महत्वपूर्ण: इस आवेदन पत्र "भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता द्वारा विवरणों में परिवर्तन पर रिपोर्ट" (REO-2) को बड़े अक्षरों में पूरा करने से पहले कृपया संलग्न मार्गदर्शन नोट्स पढें। आपको मतदाता पंजीकरण के लिए स्पष्ट और सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अस्पष्ट या गलत जानकारी असफल मतदाता पंजीकरण का कारण बन सकती है। एक व्यक्ति जो जानबूझकर या लापरवाही से कोई झूठा या गलत बयान देता है या झूठी या भ्रामक जानकारी देता है, वह कानून के तहत अपराध करता है।**पंजीकृत पते में परिवर्तन** के लिए आवेदन करने वाले एक पंजीकृत मतदाता को आवेदन पत्र के साथ पिछले तीन महीनों में जारी किए गए मूल आवासीय पते का प्रमाण **अवश्य** संलग्न करना चाहिए या अन्यथा चुनावी पंजीकरण अधिकारी आवेदन पर आगे विचार नहीं करेगा। कृपया स्वीकार्य प्रकार के पते के प्रमाणों के लिए [नोट 7] और सार्वजनिक किराये के आवास के अधिकृत निवासियों के लिए पते के प्रमाण की आवश्यकता मे छूट के विवरण देखें।

आवेदन पत्र REO-2 में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

a) हांगकांग पहचान पत्र नंबर (उपसर्ग, संख्या, और चेक अंक सहित) ;
b) लिंग (पुरुष / महिला) ;
c) उपनाम;
d) पूर्ण अन्य नाम;
e) हांगकांग में आवासीय पता [नोट 7] {फ्लैट / कमरा, लिफ्ट द्वारा संकेतिक तल संख्या, ब्लॉक, बिल्डिंग का नाम, एस्टेट का नाम / संख्या और गांव का नाम, संख्या और सड़क का नाम / लोट नंबर, क्षेत्र और जिला का नाम, और हांगकांग द्वीप / कॉव्लून / न्यू टैरीट्रीज़ (जो उपयुक्त नहीं है,उसे काट दें)}
f) संपर्क नंबर (आवासीय टेलीफोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर, कार्यालय टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर सहित);
g) ईमेल पता [1];
h) चुनाव- संबंधित सूचना के लिए भाषा प्राथमिकता [2] (नोट 9);
i) तिथि (दिन, महीना, और वर्ष सहित); तथा
j) आवेदक के हस्ताक्षर [नोट 12].

---

[1] यदि आप निर्वाचन गतिविधियों से संबंधित चुनाव ई-मेल भेजने के उद्देश्य से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों को ई-मेल पता प्रदान करने के लिए सहमत हैं, तो कृपया आवेदन पत्र पर ई-मेल पते के नीचे दिए गए बॉक्स में"✓"लगाएं। पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय संबंधित उम्मीदवारों को सूचित करेगा कि आपने ई-मेल के माध्यम से चुनाव मेल प्राप्त करना चुना है और उन्हें ऐसी जानकारी भेजने के लिए डाक वितरण के बजाय ई-मेल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवारों को मतदाताओं को डाक द्वारा चुनाव मेल की प्रतियां भेजने का विकल्प है (उन मतदाताओं सहित जिन्होंने ई-मेल के माध्यम से चुनाव मेल प्राप्त करना चुना है)। यदि आप बॉक्स में सही का निशान ("✓") नहीं लगाते हैं, तो ई-मेल पता केवल संचार के लिए पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपयोग किया जाएगा।

[2] आवेदन पत्र पर "चुनाव-संबंधित सूचनाओं के लिए भाषा प्राथमिकता" के क्षेत्र में चीनी या अंग्रेजी के लिए उपयुक्त बॉक्स में "✓" चिन्ह लगा कर कृपया अपनी भाषा प्राथमिकता का संकेत दें।

k) घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि इस फ़ॉर्म में दर्ज किए गए विवरण तथा पते का सबूत (यदि लागू हो) सत्य और सही हैं, और यह कि

(a) ऊपर दर्ज आवासीय पता हांगकांग में मेरे एकमात्र या प्रमुख निवास का पता है; तथा

(b) मैं भौगोलिक क्षेत्र में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हूं [नोट 5]; तथा

(c) मैं पंजीकरण के लिए किसी भी अयोग्यता के अधीन नहीं हूं [नोट 6]

मैं चुनावी पंजीकरण अधिकारी द्वारा, एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की मेरी योग्यता का आँकलन करने के लिए, इस आवेदन पत्र में दिए गए मेरे व्यक्तिगत विवरण की तुलना अन्य संगठनों द्वारा किसी भी उद्देश्य से एकत्र किए गए मेरे व्यक्तिगत विवरण से करने के लिए अपनी सहमति और अधिकार देता हूँ, जिससे यह सत्यापित हो सके कि ऐसा विवरण सत्य और सही है। झूठी या गलत विवरण की स्थिति में, चुनावी पंजीकरण अधिकारी ऐसे विवरण के अनुसार मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं । मैं स्पष्ट रूप से सहमत हूँ कि प्रासंगिक सरकारी विभाग (जो केवल आप्रवासन विभाग, आवास विभाग और गृह मामलों विभाग तक ही सीमित नहीं है) या किसी अन्य सार्वजनिक / निजी संगठन (हांगकांग हाउसिंग सोसाइटी तक ही सीमित नहीं है), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को मेरा व्यक्तिगत विवरण जारी कर सकते हैं ताकि यह विभाग सालाना मतदाता पंजीकरण और चुनाव से संबंधित विवरण का नवीनीकरण करने हेतु मेरे आवेदन को संसाधित करते समय ऐसे व्यक्तिगत विवरण की तुलना इस आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के साथ कर सके ।[नोट 13]

मार्गदर्शन नोट्स

(1) यह आवेदन पत्र एक पंजीकृत मतदाता के विवरण में परिवर्तन की सूचना के लिए है। **यदि आप एक पंजीकृत मतदाता नहीं हैं और भौगोलिक क्षेत्र में पंजीकृत होना चाहते हैं, तो आपको इस आवेदन पत्र के बजाय "नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों)" (REO -1) को भरना आवश्यक है।**

(2) मतदाताओं का अंतिम रजिस्टर उस वर्ष के सितंबर माह में प्रकाशित किया जाएगा जिसमें जिला परिषद सामान्य चुनाव आयोजित किया जाना होगा (यानी जिला परिषद चुनाव वर्ष), जबकि जो वर्ष जिला परिषद चुनाव वर्ष नहीं है, उस वर्ष में मतदाताओं का अंतिम रजिस्टर जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में, पंजीकृत मतदाताओं के लिए आवासीय पते या अन्य व्यक्तिगत विवरणों मे परिवर्तन की सूचना देने की वैधानिक समय सीमाएं निम्नानुसार हैं:

जिला परिषद चुनाव वर्ष: **2 जून ***

गैर जिला परिषद चुनाव वर्ष: **2 अप्रैल ***

आप ऑनलाइन मतदाता सूचना जांच प्रणाली (www.voterinfo.gov.hk) या पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय की पूछताछ हॉटलाइन (2891 1001) को कॉल करके अपने नवीनतम

पंजीकरण विवरण देख सकते हैं। यदि विवरण जैसे कि आवासीय पता बदल गए हैं, तो जल्द से जल्द पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय के साथ अपने पंजीकरण विवरण का नवीनीकरण कराना मतदाताओं की ज़िम्मेदारी है।
* ये समय सीमा नए पंजीकरण के लिए आवेदनों के लिए वैधानिक समय सीमा से अलग हैं।

(3) उपर्युक्त समय सीमा उन तारीखों को संदर्भित करती है जिन पर एक आवेदन पंजीकरण और चुनावी कार्यालय को मिलता है। उपरोक्त तिथियों के बाद इस कार्यालय तक पहुंचने वाले आवेदन अगले वर्ष के लिए मतदाताओं के रजिस्टर को संकलित करने के उद्देश्य से विचार किए जाएंगे।

(4) **अगर आपको इस आवेदन पत्र को जमा करने के 14 दिन के बाद भी पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला है, तो आप अपने आवेदन की प्रगति की जांच के लिए पूछताछ हॉटलाइन 2891 1001 पर कॉल कर सकते हैं।.**

(5) सामान्यता, आप भौगोलिक क्षेत्र में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हैं यदि:
(a) आप हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र पासपोर्ट अध्यादेश (कैप 539) द्वारा परिभाषित हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के स्थायी निवासी है; तथा
(b) आप साधारण तौर पर हांगकांग में रहते हैं; तथा
(c) आप 18 साल की आयु के हैं या पंजीकरण के लिए आवेदन के बाद 25 सितंबर (जिला परिषद चुनाव वर्ष के लिए) या 25 जुलाई (गैर जिला परिषद चुनाव वर्ष के लिए) को या उससे पहले 18 वर्ष की उम्र के हो जाएंगे; तथा
(d) आपके पास एक पहचान दस्तावेज़ है, उदाहरणत: हांगकांग स्थायी पहचान पत्र; तथा
(e) आप पंजीकरण से किसी भी अयोग्यता के अधीन नहीं हैं (नोट 6)।
स्थायी निवासी स्थिति पर पूछताछ के लिए, कृपया आप्रवासन विभाग हॉटलाइन पर कॉल करें: 2824 6111

(6) सामान्यता, वे लोग जो पंजीकरण के अयोग्य हैं उनमे शामिल है :
(a) मानसिक स्वास्थ्य अध्यादेश (कैप 136) के तहत, मानसिक अक्षमता के कारण, उनकी संपत्ति और मामलों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए अक्षम हैं;
(b) किसी भी सशस्त्र बल के सदस्य हैं ।

(7) **पते का प्रमाण**
(a) आपको विधान परिषद के भौगोलिक क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में आपके आवासीय

पते के अनुसार आवंटित किया जाएगा, जो हांगकांग में आपका एकमात्र या प्रमुख निवास होना चाहिए, यानी हांगकांग में एक आवास स्थान जहां आप रहते हैं और जो आपका एकमात्र या मुख्य घर है। आपका आवासीय पता चुनाव विज्ञापन भेजने के उद्देश्य से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा।

(b) कृपया आवेदन पत्र को पूरा भर कर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को सूचित करें और पिछले तीन महीनों के भीतर जारी किए गए अपने पते के प्रमाण को आवासीय पते मे किसी भी बदलाव के लिए संलग्न करें क्योंकि इससे आप जिस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं, उसमे परिवर्तन हो सकता है।

(c) पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय पिछले तीन महीनों के भीतर जारी किए गए निम्न दस्तावेजों को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है (पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय द्वारा फॉर्म प्राप्ति की तारीख को फॉर्म जमा करने की तारीख मानी जाएगी), जिनमे इन्हे जारी करने की तारीख और संगठन का नाम हो :

(i) निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक जिसमे मतदाता का नाम और मूल आवासीय पता है (दस्तावेज पर लिखा नाम और पता आवेदन पत्र में दिए गए नाम और पते के समान होना चाहिए)-

1. सार्वजनिक निकायों द्वारा जारी बिल या चालान (उदाहरण के लिए पानी, बिजली या टाउनगैस सेवाओं के लिए उपयोगिता बिल);
2. सरकारी विभागों या न्यायपालिका द्वारा पत्राचार;
3. बैंकों, बीमा कंपनियों या अनिवार्य भविष्य निधि स्वीकृत ट्रस्टी द्वारा जारी किए गए खाता विवरण या पत्राचार;
4. लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीविजन या इंटरनेट सेवाओं के भुगतान बिल;
5. स्थानीय माध्यमिक संस्थानों द्वारा जारी दस्तावेज या बिल जिन पर मतदाता के आवासीय पते की पुष्टि हेतु निर्भरता रखी जा सकती हैं;
6. वैध और "मुद्रित" (स्टाम्प ड्यूटी के लिए) किरायेदारी अनुबंध (आवेदन जमा करने की तारीख से 3 महीने के भीतर जारी होने का मानदंड अनिवार्य नहीं है परंतु इस किरायेदारी को आवेदन की तारीख को समाविष्ट करना चाहिए); अथवा
7. अस्पताल प्राधिकरण, आवास विभाग, हांगकांग हाउसिंग सोसाइटी, हांगकांग परीक्षाएं और आकलन प्राधिकरण इत्यादि जैसे सार्वजनिक संगठनों द्वारा जारी बिल, पत्राचार या अन्य दस्तावेज; अथवा

(ii) पते का प्रमाण जिस पर कि मतदाता के साथ रहने वाले व्यक्ति का नाम और आवासीय पता है, और मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा यह पुष्टि करने के लिए कि इस तरह का अन्य व्यक्ति उपरोक्त पते पर मतदाता के साथ रह रहा है और संलग्न पते का प्रमाण एक पूर्ण प्रामाणिक प्रति है या मूल की असली प्रति है।घोषणा का नमूना पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है (http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm); अथवा

(iii) यदि मतदाता उपरोक्त (i) या (ii) में सूचीबद्ध किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय मतदाता द्वारा शपथ और घोषणा अध्यादेश (Cap.11) के आधार पर पते पर रहने के दावे को साबित करने के लिए ,शपथ आयुक्त/एक कार्यरत वकील/ न्यायिक अधिकारी के समक्ष की गई वैधानिक घोषणा भी स्वीकार करेगा। जनता के उन सदस्यों के लिए जिन्हे शपथबद्ध घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिला कार्यालयों मे इसके लिए मुफ्त सेवा उपलब्ध है। घोषणा का नमूना पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है (http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm) ।

(d) पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय उपर्युक्त दस्तावेजों की मूल प्रतिलिपि, फोटोकॉपी या फ़ैक्स प्रति को पते के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है।

(e) मतदाता जो कि आवास विभाग के सार्वजनिक किराए के घर का निवासी हैं या हांगकांग हाउसिंग सोसाइटी के तहत किराए मे अनुदान प्राप्त पंजीकृत निवासी है और पंजीकृत पते मे परिवर्तन हेतु आवेदन कर रहा है तथा जिसका किरायेदारों के रिकॉर्ड मे दर्ज पता मतदाता द्वारा दिये गए पते से मेल खाता है ,तो ऐसे मतदाताओं के लिए पता प्रमाण आवश्यकता मे छूट है।
ध्यान दें: ऐसे निवासी जो आवास स्वामित्व योजना या बेची गई सार्वजनिक आवासीय इकाइयों मे रहते हैं (उदाहरण के लिए किरायेदार खरीद योजना के तहत फ्लैट) वे छूट के दायरे से बाहर हैं और संबंधित मतदाताओं को तदनुसार वैध पता प्रमाण प्रदान करना चाहिए।
उन मामलों के लिए जहां निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी संबंधित विभाग / संगठन से मेल करने वाले विवरणों से एक मतदाता के विवरण की जांच नहीं कर सकता है, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी निर्वाचन मामलों के आयोग की धारा 10A के तहत पंजीकृत पते में परिवर्तन के लिए आवेदन करते समय पते का प्रमाण प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है (मतदाताओं का पंजीकरण)(विधान परिषद भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों) (जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों)विनियमन(Cap. 541A)।

(8) (a) चुनावी मामलों के आयोग (पंजीकरण) (विधान परिषद कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए

मतदाता) (चुनाव समिति उप-क्षेत्रों के मतदाता) (चुनाव समिति के सदस्य) अधिनियम (कैप 541 बी) की धारा 19 के अनुसार, एक भौगोलिक क्षेत्र में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति जिला परिषद (द्वितीय) कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए भी माना जाता है। यदि आप जिला परिषद (द्वितीय) कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होना चुनते हैं, तो आपको एक "कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र और / या जिला परिषद (द्वितीय) कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव समिति उप-क्षेत्र / खारिज पंजीकरण या गैर पंजीकरण के एक व्यक्ति द्वारा विवरण में परिवर्तन पर रिपोर्ट " (REO-43) का आवेदन पत्र भरना होगा।

(b) यदि आप एक भौगोलिक क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता हैं (जो किसी भी कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं है) और आप जिला परिषद (द्वितीय) कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र या अन्य पारंपरिक कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र (जैसे कि जिला परिषद (द्वितीय) कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र के अलावा कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र) / उप-क्षेत्र मे निर्वाचक/मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं , आपको आवेदन पत्र "एक कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति द्वारा आवेदन और / या एक चुनाव समिति उप-क्षेत्र" (REO-41) भरना होगा।

(c) (i) यदि आप पारंपरिक कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र / उप-क्षेत्र में पंजीकृत निर्वाचक/मतदाता हैं और इसे बदल कर जिला परिषद (द्वितीय) कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण कराने की इच्छा रखते हैं, या किसी अन्य पारंपरिक कार्यात्मक क्षेत्र / उप-क्षेत्र में पंजीकरण कराना चाहते हैं; या

(ii) यदि आप जिला परिषद (द्वितीय) कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता हैं और इसे बदल कर किसी अन्य पारंपरिक कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र /उपसेक्षक में पंजीकृत या जिला परिषद (द्वितीय) कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र में गैर-पंजीकृत होना चाहते हैं,

आपको "एक कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा जानकारी मे परिवर्तन पर रिपोर्ट और /या एक निर्वाचन समिति उपसेक्षक /जिला परिषद (द्वितीय) कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपंजीकरण या गैर-पंजीकरण" (REO-43) आवेदन पत्र अवश्य भरना होगा।

(9) सामान्यता, पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाताओं को जारी चुनाव-संबंधित सूचनाएं चीनी और अंग्रेजी दोनों में होती हैं। यह भाषा प्राथमिकता चुनावी उम्मीदवारों को आपसे चुनाव के दौरान आपकी पसंदीदा भाषा में बात-चीत की सुविधा के लिए है। यदि आप इस भाग को पूरा नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपकी पसंदीदा भाषा चीनी है।

(10) यदि आपके आवासीय पते के लिए कोई डाक सेवा उपलब्ध न हो तो ही कृपया पत्राचार पता प्रदान करें। यदि आप कथित मानदंड को पूरा नहीं करते हैं तो कृपया "पत्राचार पता" के इस हिस्से को न भरें।

(11) ये नोट केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। आवेदकों को विधान परिषद अध्यादेश (कैप 542), निर्वाचन मामलों के आयोग अध्यादेश (कैप 541) और इसके तहत सहायक कानूनों को भी देखना चाहिए।

(12) आवेदक द्वारा इस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए; अन्यथा, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी आपके आवेदन को संसाधित नहीं करेगा।

(13) एक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आपकी योग्यता का आकँलन करने के लिए,निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी अन्य उद्देश्यों के लिए अन्य संगठनों द्वारा एकत्र किए गए आपके व्यक्तिगत विवरण के साथ आवेदन पत्र में दिए गए आपके व्यक्तिगत विवरण की तुलना और दोबारा जाँच करेगा ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वह विवरण सही और सत्य हैं या नहीं , अगर वे झूठे या भ्रामक हैं, तो उन विवरणों पर आधारित आपके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सके। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने पर, आप निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को एकत्रित विवरण के सबूत और सत्यापित करने के लिए अन्य सरकारी विभागों या सार्वजनिक / निजी संगठनों से संपर्क करने के लिए अधिकृत करते हैं, और आप स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि संबंधित सरकारी विभाग (आप्रवासन विभाग, आवास विभाग और गृह मामलों विभाग तक सीमित नहीं है) या कोई भी अन्य सार्वजनिक / निजी संगठन (हांगकांग हाउसिंग सोसाइटी तक सीमित नहीं है), आपके व्यक्तिगत विवरण को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को जारी कर सकते हैं, ताकि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी इस आवेदन को संसाधित करते समय और सालाना मतदाता पंजीकरण और चुनाव-संबंधित विवरण नवीनीकरण करते समय आवेदन पत्र पर दिए गए विवरण की तुलना उन विवरण से कर सकें।

(14) पंजीकरण विवरणों मे परिवर्तन के लिए आवेदन संसाधित करने के बाद लिखित पंजीकरण नोटिस भेजने के अलावा, पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय संक्षिप्त संदेश सेवा और/या ई-मेल द्वारा मतदाताओं को सूचित करेगा (यदि मतदाताओं ने ऐसी जानकारी प्रदान की है) कि उनके पंजीकरण विवरण मे सुधार कर दिया गया है ।

(15) मतदाता पंजीकरण पर पूछताछ के लिए, कृपया 2891 1001 पर कॉल करें।

व्यक्तिगत सूचना संग्रह वक्तव्य

संग्रह का उद्देश्य

इस प्रपत्र (REO-2) के माध्यम से आपके द्वारा प्रदान किया गया व्यक्तिगत विवरण और पते के प्रमाण (यदि लागू हो) का उपयोग पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता पंजीकरण और चुनाव से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस प्रपत्र के माध्यम से व्यक्तिगत विवरण और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करना स्वैच्छिक है। हालांकि, यदि आप पर्याप्त और सही विवरण प्रदान नहीं करते हैं तो हम आपके आवेदन को संसाधित नहीं कर पाएंगे।यदि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने आपके आवेदन को मंजूरी दे दी तो आपका नाम और आवासीय पता एक रजिस्टर में संकलित किया जाएगा और सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

आवश्यकता होने पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण रजिस्टर तैयार करते समय विवरण मिलाने हेतु सार्वजनिक प्राधिकरण (आप्रवासन विभाग, गृह मामलों विभाग, आवास विभाग और हांगकांग हाउसिंग सोसाइटी इत्यादि सहित) से आपका व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त उद्देश्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए संदर्भित व्यक्ति की स्पष्ट सहमति के बिना इस प्रपत्र में प्रदान किए गए व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करता है, वह व्यक्तिगत विवरण (गोपनीयता) अध्यादेश (कैप 486) का उल्लंघन कर सकता है।

सूचना का स्थानांतरण

जहां आवश्यक हो, आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी अन्य अधिकृत विभागों / संगठनों / व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण और चुनाव के उद्देश्य से प्रासंगिक अध्यादेशों और / या सहायक कानूनों के तहत और उससे संबंधित सभी उद्देश्यों के तहत भी प्रदान की जा सकती है।

व्यक्तिगत विवरण तक पहुँचना और पूछताछ

आपको व्यक्तिगत विवरण (गोपनीयता) अध्यादेश (कैप 486) के प्रावधानों के अनुसार आपके द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत विवरण और अन्य संबंधित जानकारी तक पहुँचने और सुधार करने का अनुरोध करने का अधिकार है। इस तरह के अनुरोध और पूछताछ 10 वीं मंजिल, हार्बर सेंटर, 25 हार्बर रोड, वान चाई, हांगकांग में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को लिखित में की जानी चाहिए।